न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -144/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

राधागोबिन्द मुण्डा बनाम तुलसी दास उराँव

1.02.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	राधागोबिन्द मुण्डा पिता–स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम–कोन्ताटोली, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती।
क्रेता का नाम एवं पता –	तुलसी दास उराँव पिता–स्व० गौर चंद उराँव, ग्राम–कनकटटा, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–नौकरी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–17/12/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता तुलसी दास उराँव पिता–स्व० गौर चंद उराँव, ग्राम–कनकटटा, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोन्ताटोली	अनगड़ा/39	109	999	4.5 डी० चौहद्दीः– उ०–कृष्ण उरांवा, महावीर उरांव। द०–नीज बिक्रेता। पू०–नीज बिक्रेता। प०–पी.सी.सी. सड़क।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–20(ii) दिनांक–17/01/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रीझा बाबू वल्द हरी सिंघ के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है ।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम हरि सिंह मुण्डा है। तथा रैयत के पास रकबा–5.64 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018–19 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता–पुत्र का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–5.59½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जाति समुदाय के है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता राधागोबिन्द मुण्डा पिता–स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम–कोन्ताटोली, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता तुलसी दास उराँव पिता–स्व० गौर चंद उराँव, ग्राम–कनकटटा, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–17/12/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता विक्रेता राधागोबिन्द मुण्डा पिता–स्व० हरी सिंह मुण्डा, ग्राम–कोन्ताटोली, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता तुलसी दास उराँव पिता–स्व० गौर चंद उराँव, ग्राम–कनकटटा, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–उराँव, पेशा–नौकरी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोन्ताटोली	अनगड़ा/39	109	999	4.5 डी० चौहद्दीः– उ०–कृष्ण उरांवा, महावीर उरांव। द०–नीज बिक्रेता। पू०–नीज बिक्रेता। प०–पी.सी.सी. सड़क।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.20 12:46:27 +05:30
Location: 10.93.79.19